न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 37/2023
GCMS NO. : 2023/70

–: वादीगण :–

1. अशोकराज पुत्र श्री गजराज
2. सुनिता पत्नी अशोकराज

जातियान–जैन,निवासीगण–जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर राज0।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1.श्री आदीनाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट ग्राम बलुन्दा तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर
1/1–विरेन्द्रमल मेहता पुत्र श्री पारसमल मेहता जाति जैन निवासी 21 एवेन्यू अशोक नगर चैन्नई–83 तमिलनाडु
1/2– मीठालाल पुत्र भीकमचंद छलाणी जाति जैन निवासी हाल सथार स्ट्रीट कुम्भा कोणम
1/3– रणजीतमल छलाणी पुत्र श्री जवरीलाल जाति जैन 63 एनएससी बोस रोड़ शोकार्पेट चैन्नई 79 तमिलनाडु
2.तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:–14.03.2023**

उपस्थित:–

1. श्री शाकीर हुसैन, श्री अब्दुल कलाम, श्री बृजेश कुमार जांगिड़, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री अमित त्रिपाठी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक:– 24/10/2024

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1819 रकबा 4.0064 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। पक्षकारान् उक्त कृषि भूमि पर अपने हक हिस्से अनुसार जिस अनुरूप अरसे दराज से मौके पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है, मौके पर पक्षकारान् जिस अनुरूप काबिज है उसका नजरी नक्शा बनाकर वादपत्र के साथ पेश किया जा रहा है, जिसमें लाल रंग से दर्शाए गए भू–भाग वादीगण के हक हिस्से अधिकार की भूमि है तथा मौके पर वादीगण इस लाल रंग के भू–भाग पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है तथा नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाए गए

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी जैतारण (ब्यावर)

भू-भाग पर प्रतिवादीगण मौके पर काबिज है और यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादीगण ने उक्त कृषि भूमि में से 4-04 बीघा भूमि वादीगण से दिनाँक 25.06.2015 को जरिए रजिस्टर्ड शैलडीड से खरीद की और उस रजिस्टर्ड यान में भी प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण से खरीद की गई भूमि के पड़ोस का उल्लेख किए गए है जो प्रतिवादीगण के हक हिस्से व अधिकार की भूमि के उत्तर दिशा में आम रास्ता दक्षिण में विक्रेता पक्ष यानि यादीगण की भूमि, पूर्व दिशा में रजत आयरन प्राईवेट लिमिटेड जो क्रेतागण की यानि प्रतिवादीगण की खरीद सुदा भूमि है तथा पश्चिम में विक्रेता पक्ष यानि वादीगण की भूमि है। नजरी नक्शे को वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। रजिस्टर्ड बेचान की फोटो प्रति व नकल जमाबन्दी व नक्शा ड्रेस वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। सुविधा की दृष्टि से उक्त खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि को आगे इस वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जाएगा। वादग्रस्त आराजी का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के पक्षकारान् के मध्य कोई बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि है परन्तु वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपने अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर अरसे दराज से काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इस प्रकार आपसी सहमति से नजरी नक्शे में बताए अनुसार अरसे दराज से लेकर आज तक लगातार पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है व मौके पर वादग्रस्त कृषि भूमि का आपसी सहमति व स्वीकारोक्ति से अरसे दराज से बंटवाड़ा हो रखा है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के कोई बंटवाड़ा नहीं हो रखा है इस कारण वादीगण को अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का अपनी मनमर्जी अनुसार कृषि करने, खाद बीज डालकर उपजाऊ करने, सरकारी अर्द्धसरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में काफी दिक्कतों एवं समस्यों तथा कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है इस कारण से वादीगण अपने हक हिस्से व बंट की नजरी नक्शे में बताई भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा का श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने से प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के खेत की मांठ पाल व खन्दक को लेकर तथा सीमा को लेकर हमेशा वाद विवाद करते रहते है तथा वादीगण की कृषि भूमि की मेड़बन्दी व तारबन्दी को तोड़फोड़ कर देते है तथा बिना बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवाए ही उक्त संयुक्त सामलाती खातेदारी की कृषि भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण आदि की धमकीयां देते रहते है एवं वादीगण को उनके कब्जे से बेदखल करने की ऐलानियां धमकीया देते रहते है तथा कृषि भूमि को अकृषि कार्य कर खुर्द बुर्द करने को आमादा है। जबकि वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम इन्द्राज है तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार व वादपत्र के साथ प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अर्जन अधिकारी
जैतारण (व्यावर)

नजरी नक्शे में बताए अनुसार वादीगण मौके पर काबिज काश्त है। इसलिए वादीगण अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिस एण्ड बाउण्डस् के वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार बंटवाड़ा हराने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बावत् बंटवाड़ा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। दिनाँक 05.03.2023 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के मौके पर पक्षकारान आपसी सहमति व स्वीकारोक्ति से अरसे दराज से लेकर आज दिन तक जिस अनुरूप अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर गौके पर किाबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसका नजरी नक्शा इस वादपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है के अनुसार बंटवाड़ा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इन्कार करने एवं वादीगण को उनके कब्जे काश्त से बेदखल करने एवं बिना बंटयाड़ा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि करने व मौके पर कृषि भूमि में अकृषि कार्य करने एवं वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने की ऐलानियां धमकीया दी। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादों में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी एवं वादीगण अपने खातेदारी काश्तकारी हक हकूकों से वंचित हो जायेगें तथा प्रतिवादीगण द्वारा किए जा रहे गैरकानूनी कृत्यों का वादीगण मौके पर विरोध करेंगे तो मौके पर लड़ाई झगड़ा टन्टा फसाद होगा एवं विविध प्रकार की मुकदमेबाजी बढ़ेगी तथा पेचीदगियां पैदा होगी तथा वादीगण खर्चे से जेरबार हो जाऐंगे। इसलिए वादीगण के पास न्यायालय की शरण में आने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाझ व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 02 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने से इनके विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादपत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वादीगण का वादपत्र करने के मकसद ही विफल हो जाएगा इसलिए बिना नोटिस दिए ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सीपीसी का वादपत्र के साथ पेश है। वाद दिनाँक 05.03.2023 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के मौके पर आपसी सहमति व व स्वीकारोक्ति अनुसार अरसे दराज से लेकर आज दिन तक अपने हक हिस्से की भूमि का वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार कानूनी बंटवाड़ा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इन्कार होने से एवं बिना बाई एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाड़ा करवाए ही उक्त भूमि को किसी अन्य को रहन बैचान अन्य हस्तान्तरण करने तथा वादीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने एवं मौके पर कच्चा पक्का निर्माण करने एवं वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि में अकृषि कार्य ककर खुर्द बुर्द करने की ऐलानिया धमकीया देने पर बमुकाम बसुन्दा तहसील शत्पुरण जिला ब्यावर राज॰ में पैदा हुआ जो श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं दक्षेत्राधिवेगर में होने से यह वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान के समक्ष सादर पेश है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
प॰ ...-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से अधिवक्ता अमित त्रिपाठी ने उपस्थित होकर कथन किया कि जबाव दावा पेश नहीं करना चाहते है तथा वाद की प्राथमिक डिक्री की जाने हेतु सहमति प्रदान करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किए है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, साक्ष्य शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस विद्वानं अधिवक्तागण उभयपक्षकारान पर गौर कर मनन किया गया। सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1819रकथा 4.0064 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। खसरा नम्बर 1819 की जमाबन्दी सम्वत् 2077-2080 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी बरूबे राजस्व रेकर्ड में स्वयं अपने अपने हक हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, अतः खसरा नम्बर 1819 रकबा 4.0064 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा बलून्दा, पटवार हल्का बलून्दा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र-आ0कालू, तहसील जैतारण जिला- ब्यावर राजस्थान में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1819 रकबा 4.0064 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2024/387 दिनांक 09/04/2024 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/24/4763 दिनांक 20/08/2024 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। बहस के दौरान वकील अधिवक्ता ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा- बलून्दा, पटवार हल्का -बलून्दा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र- आ0कालू, तहसील जैतारण जिला- ब्यावर, राजस्थान की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 1819 रकबा

उपखण्ड अधिकारी एवं
... भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

4.0064 बीघा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1.	अशोकराज पुत्र गजराज 1/2 सुनिता पत्नि अशोकराज 1/2 जाति जैन सा0 जैतारण खातेदार	1819	3.3347	बा.दो.	6.38
2.	श्री आदिनाथ जैन श्वेताम्बर मन्दिर ट्रस्ट ग्राम बलुन्दा के ट्रस्टीगण 1.पी. विरेन्द्रमल मेहता पुत्र पारसमल मेहता 2. मीठालाल पुत्र भीकमचन्द छलानी 3. रणजीतमल छलानी पुत्र जवरीलाल खातेदार	1819/5	0.6717	बा.दो.	1.29

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 24/10/2024 को सर–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री रवि प्रकाश , आर०ए०एस०

–: वादीगण :–

1. अशोकराज पुत्र श्री गजराज
2. सुनिता पत्नी अशोकराज

जातियान–जैन,निवासीगण–जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर राज0।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. श्री आदीनाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट ग्राम बलुन्दा तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर

1/1–विरेन्द्रमल मेहता पुत्र श्री पारसमल मेहता जाति जैन निवासी 21 एवेन्यू अशोक नगर चैन्नई–83 तमिलनाडु

1/2– मीठालाल पुत्र भीकमचंद छलाणी जाति जैन निवासी हाल सथार स्ट्रीट कुम्भा कोणम

1/3– रणजीतमल छलाणी पुत्र श्री जवरीलाल जाति जैन 63 एनएससी बोस रोड़ शोकार्पेट चैन्नई 79 तमिलनाडु

2.तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 37/2023

निर्णय व डिक्री दिनांक :–24/10/2024

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ..... व हाजरी श्री शाकीर हुसैन, श्री अब्दुल कलाम, श्री बृजेश कुमार जांगिड़, अधिवक्ता,, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री अमित त्रिपाठी प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–बलून्दा, पटवार हल्का बलून्दा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू, तहसील जैतारण जिला– ब्यावर राजस्थान की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 1819 रकबा 4.0064 बीघा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1.	अशोकराज पुत्र गजराज 1/2 सुनिता पत्नि अशोकराज 1/2 जाति जैन सा0 जैतारण खातेदार	1819	3.3347	बा.दो.	6.38
2.	श्री आदिनाथ जैन श्वेताम्बर मन्दिर ट्रस्ट ग्राम बलुन्दा के ट्रस्टीगण 1.पी. विरेन्द्रमल मेहता पुत्र पारसमल मेहता 2. मीठालाल पुत्र भीकमचन्द छलानी 3. रणजीतमल छलानी पुत्र जवरीलाल खातेदार	1819/5	0.6717	बा.दो.	1.29

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 24/10/2024 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन स.म.-अधिकारी कलेक्टर
जैतारण (ब्यावर)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	-	महनताना वकील	
महनताना वकील	-	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	मुत्फरिक	
मिजानः–	06-00	मिजानः–	01-00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।